

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>खेमसिंह. बनाम लो.सू.अ. ( उपखण्ड अधिकारी लूणी )</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 23 / 2019</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए</p>
<p>22.02.19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह पता शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 04.12.18 में उसके द्वारा (1) तहसील लूणी के क्षेत्राधिकार में वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक पत्थर कटिंग मशीन आर. ओ. प्लॉट संचालन हेतु कितने व्यक्तियों के लाईसेंस जारी किये गये। नियमानुसार वर्षवार प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी लूणी ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रे.स्पो.पक्ष ( उपखण्ड अधिकारी लूणी ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रे.स्पो.( उपखण्ड अधिकारी लूणी ) से आदिनांक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई जो खेदजनक है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी लूणी ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनाार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	